हरियाणा सरकार
शहरी स्थानीय निकाय विभाग
अधिसूचना
दिनांक-12-09---- 2019

संख्या का0आ0 14/6/2015-3आई-हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का 16), की धारा 149 की उप धारा (1) के साथ पठित धारा 87 के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग (समितियां), अधिसूचना संख्या का0आ0 85/ह0अ0 16/1994/धा0 87/2013, दिनांक 11 अक्टूबर, 2013, जो कि अधिसूचना संख्या का0आ0 38/ह0अ016/1994/धा0 87/2014 के द्वारा संशोधित की गई, में निम्नलिखित संशोधन करते है अर्थात–

संशोधन

हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग (समितियां), अधिसूचना संख्या का0आ0 85/ह0अ0 16/1994/धा0 87/2013, दिनांक 11 अक्टूबर, 2013 में,–

2. पैरा 2 में, मद ऊ में, उप–पैरा (xiv) के बाद, निम्नलिखित उप–पैरा रखा जायेगा, अर्थात:-

"(xv) डेयरी व मुर्गी पालन :–

क. 2 एकड तक के आकार के प्लाटों पर ए1 शहरों में रुपये 5.00 प्रति वर्ग गज प्रति वर्ष तथा ए2 शहरां में रुपये 3.75 प्रति वर्ग गज प्रतिवर्ष;

ख. 2 एकड से अधिक के आकार के प्लाट पर प्रथम 2 एकड़ पर कर उपरोक्त क्रम संख्या (क) में दी गई दरों के अनुसार जमा दो एकड़ से अधिक के प्लाट क्षेत्र के लिये ए1 शहरों के लिये रुपये 1.00 प्रति वर्गगज प्रतिवर्ष, ए2 शहरों के लिये रुपये 0.75 प्रति वर्गगज प्रतिवर्ष;

आनन्द एम. शरण
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
शहरी स्थानीय निकाय विभाग।